न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

प्रार्थीः–

अशोक कुमार पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी खोखर तहसील परबतसर

बनाम

अप्रार्थी :–

तहसीलदार परबतसर

प्रार्थना–पत्र बाबत् :– 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा अधिवक्ता प्रार्थी

मुकदमा नम्बर :– 2024/69 निर्णय दिनांक :– 11.08.2025

निर्णय

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि ग्राम खोखर तहसील परबतसर की सरहद में खेत खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 100/1 रकबा 0.9388, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.5900 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 3.9900 हैक्टर कुल खसरान 4 कुल रकबा 5.5488 हैक्टर व खाता संख्या 190 खसरा नम्बर 65/1 रकबा 0.0081 हैक्टर, खसरा नम्बर 66/1 रकबा 0.0500 हैक्टर कुल खसरान 2 कुल रकबा 0.0581 हैक्टर व खाता संख्या 191 खसरा नम्बर 51/4 रकबा 0.0200 हैक्टर व खाता संख्या 286 खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 51/3 रकबा 1.0511 हैक्टर कुल खसरान 2 कुल रकबा 1.0611 हैक्टर भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी सहखातेदार है। खता संख्या 119 व 190 के आराजीयान के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बक्साराम पुत्र जेठाराम व बगतसाराम पुत्र जेठाराम दर्ज है। खाता संख्या 191 के आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बक्साराम पुत्र जेठाराम दर्ज है खाता संख्या 200 व 286 के आराजीयान के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बक्साराम पुत्र जेठाराम व बक्षाराम पुत्र जेठाराम दर्ज है जबकी प्रार्थी का सही नाम अशोक कुमार पुत्र जेठाराम है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम अशोक कुमार पुत्र जेठाराम दर्ज है जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम बक्साराम पुत्र जेठाराम व बगसाराम पुत्र जेठाराम व बक्षाराम पुत्र जेठाराम नहीं है प्रार्थी का सही नाम अशोक कुमार पुत्र जेठाराम है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता जेठाराम की मृत्यु के बाद गलती से राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अशोक कुमार के स्थान पर बक्साराम पुत्र जेठाराम व बगसाराम व बक्षाराम पुत्र जेठाराम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

दर्ज हो गया है जबकी प्रार्थी का सही नाम अशोक कुमार पुत्र जेठाराम है प्रार्थी के घर का नाम बक्साराम है जबकी दस्तावेजों में नाम अशोक कुमार है। प्रार्थी ने प्रधानमंत्री किसान निधी में नाम जुडवाने के लिए जमाबन्दी की नकले निकलवाई तो प्रार्थी को पता चला की राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अशोक कुमार पुत्र जेठाराम के स्थान पर बक्साराम पुत्र जेठाराम व बगसाराम पुत्र जेठाराम व बक्षराम पुत्र जेठाराम दर्ज है तब प्रार्थी हल्का पटवारी से मिला तो हल्का पटवारी ने श्रीमान के न्यायालय में दावा करने हेतु कहा गया इसलिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर संशोधन करवाने की इस्तदुआ चाही है।

प्रार्थना–पत्र वकील प्रार्थी द्वारा पेश किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सरकार को जवाब हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार परबतसर द्वारा जवाब भिजवाया गया, जिसके अनुसार ग्राम खोखर पटवार हल्का खोखर के खसरा नम्बर 100/1 रकबा 0.9388 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.5900 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 3.9900 हैक्टर, कुल खसरान 4 कुल रकबा 5.5488 हैक्टर व खसरा नम्बर 65/1 रकबा 0.0581 हैक्टर व खसरा नम्बर 46/5 रकबा 1.00 हैक्टर व खसरा नम्बर 51/4 रकबा 2.0200 हैक्टर व खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 51/3 रकबा 1.0511 हैक्टर, कुल खसरान 2 कुल रकबा 1.0611 हैक्टर भूमि आई हुई है जो सही है। राजस्व रेकर्ड में बक्शा पुत्र जेठाराम, बक्शाराम पुत्र जेठाराम व बक्शाराम पुत्र जेठाराम दर्ज है जो एक ही व्यक्ति है जिसका सही नाम अशोक कुमार पुत्र जेठाराम है। अतः जवाब सरकार आने से जवाब बन्द कर वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का समर्थन करते हुए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बक्साराम पुत्र जेठाराम व बगसाराम पुत्र जेठाराम व बक्षराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र जेठाराम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 100/1 69 70 71 व खाता संख्या 190 खसरा नम्बर 65/1, 66/1, खाताा संख्या 191 खसरा नम्बर 46/5 खाता संख्या 200 खसरा नम्बर 51/4, खाता संख्या 286 खसरा नम्बर 50, 51/3 की पेश की है साथ ही प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वकील प्रार्थी ने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड पेश किये है जिसमें प्रार्थी का सही नाम अशोक कुमार पुत्र जेठाराम दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत खोखर का प्रमाण–पत्र पेश किया है जिसके अनुसार अशोक कुमार पुत्र जेठाराम ग्राम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

खोखर का मूल निवासी है। जिसका घर का नाम बक्शाराम है। बक्शाराम पुत्र जेठा राम व अशोक कुमार पुत्र जेठाराम एक ही व्यक्ति है, जिसका सही नाम अशोक कुमार है। इस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रमाण–पत्र व जवाब सरकार व मुताबिक दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बक्साराम पुत्र जेठाराम व बगसाराम पुत्र जेठाराम व बक्षराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र जेठाराम दर्ज किये जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खोखर तहसील परबतसर की सरहद में खेत खाता संख्या 119 खसरा नम्बर 100/1 रकबा 0.9388, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.5900 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 3.9900 हैक्टर कुल खसरान 4 कुल रकबा 5.5488 हैक्टर व खाता संख्या 190 खसरा नम्बर 65[illegible] रकबा 0.0081 हैक्टर, खसरा नम्बर 66/1 रकबा 0.0500 हैक्टर कुल खसरान 2 कुल रकबा 0.0581 हैक्टर व खाता संख्या 191 खसरा नम्बर 51/4 रकबा 0.0200 हैक्टर व खाता संख्या 286 खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 51/3 रकबा 1.0511 हैक्टर कुल खसरान 2 कुल रकबा 1.0611 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का नाम बक्साराम पुत्र जेठाराम व बगसाराम पुत्र जेठाराम व बक्षराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर अशोक कुमार पुत्र जेठाराम के नाम से रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदारामद हो। तहसीलदार को निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

(रामकुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर